



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं: NCST/DEV-506/CG/3/2022-RO-RPR

दिनांक: 12.05.2026

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
जिला- राजनांदगांव,
कार्यालय कलेक्टर,
राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
ई-मेल: collector-raj.cg@gov.in

विषय: अभ्यावेदक श्री सिल्वेस्टर टोप्पो, पता - एम.आई.जी. 540, पद्मनाभपुर, जिला - दुर्ग (छ.ग.) से प्राप्त अभ्यावेदन "ग्राम सोमनी प.ह.नं. 64 तहसील एवं जिला - राजनान्दगाँव (छ.ग.) स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 325/1, 325/3, 325/4 योग रकबा 0.18 एकड़ छीने जाने की शिकायत के संबंध में" ।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 05.08.2022 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-1, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में दिनांक 20.05.2026 को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री सिल्वेस्टर टोप्पो,
एम.आई.जी. 540, पद्मनाभपुर,
जिला - दुर्ग (छ.ग.)
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु
आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।



भारत सरकार

Government Of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)

(A Constitutional body exercising power of Civil Courts under Article 338A of the Constitution of India)

(छत्तीसगढ़ के लिये क्षेत्रीय कार्यालय)

ईएसी कालोनी, प्लॉट न. 3/16, प्रथम तल, जिला न्यायालय के पीछे, पुर्णिमा स्कूल के पास, रायपुर-492001 (छत्तीसगढ़)

Email - ro-raipur@ncst.nic.in, Telefax: 0771 - 2443335

नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-506/CG/3/2022-RO-RPR

दिनांक: 05.08.2022

सेवा में,

जिला कलेक्टर

राजनान्दगाँव

राजनान्दगाँव -491441 (छत्तीसगढ़)

विषय: अभ्यावेदक श्री सिल्वेस्टर टोप्पो, पता - एम.आई.जी. 540, पद्मनाभपुर, जिला - दुर्ग (छ.ग.) से प्राप्त अभ्यावेदन, "ग्राम सोमनी प.ह.नं. 64 तहसील एवं जिला - राजनान्दगाँव (छ.ग.) स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 325/1, 325/3, 325/4 योग रकबा 0.18 एकड़ छीने जाने की शिकायत के संबंध में।"

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री सिल्वेस्टर टोप्पो से दिनांक 08.07.2022 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

(आर.के. दुबे)
उप निदेशकदूरभाष सं.: {0771-2443335}
ई-मेल: {ro-raipur@ncst.nic.in}

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्री सिल्वेस्टर टोप्पो

पता - एम.आई.जी. 540, पद्मनाभपुर, जिला - दुर्ग (छ.ग.)

कार्यालय निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित
जनजाति आयोग भोपाल
Office of the Director, National
Commission for Sch. Tribes, Bhopal
प्रेषण संख्या / Issue No. 795, 96
दिनांक / Date. 08/08/22